# 16

# स्वायत्तशासी और सांविधिक निकाय

## 1. दिल्ली विकास प्राधिकरण (दि.वि.प्रा.)

योजना के अनुसार दिल्ली के विकास से संबंधित मामलों और उनसे अनुषंगी मामलों के लिए दिल्ली विकास (दि.वि) अधिनियम, 1957 अधिनियमित किया गया तथा तद्नुसार दिल्ली विकास प्राधिकरण की स्थापना की गई । प्राधिकरण के उद्देश्य योजना के अनुसार दिल्ली के विकास का उन्नयन करना और उसको सुनिश्चित करना है तथा उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण को भूमि और अन्य सम्पत्ति का अर्जन, धारण, प्रबंध और व्ययन करने, निर्माण इंजीनियरिंग, खनन और अन्य संक्रियाएं करने, जल और विद्युत के प्रदाय, मल-व्ययन और अन्य सेवाओं और सुख-सुविधाओं के संबंध में कार्य निष्पादित करने और साधारणत: ऐसे विकास के प्रयोजनों के लिए तथा उससे आनुषंगिक प्रयोजनों के लिए आवश्यक या समीचीन कोई भी कार्य करने की शक्ति प्राप्त है ।

16.1 दिल्ली विकास प्राधिकरण अन्य बातों के साथ-साथ दिल्ली मुख्य योजना-2021 के कार्यान्वयन और निगरानी का कार्य करता है । जैसा कि अध्याय 6 में पहले ही उल्लिखित है, दि.मु.यो.-2021 में 12 अगस्त, 2008 के संशोधनों ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 को ध्यान में रखते हुए पर्यटकों और आगन्तुकों के लिए होटलों के आवासों की संख्या में वृद्धि करने के उद्देश्य से और दिल्ली के विभिन्न पॉकेटों में रहने वाले विभिन्न श्रेणियों के निवासियों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से होटलों के लिए विकास नियंत्रण मानकों को काफी उदार बनाया है । दि.मु.यो.-2021 के कार्यान्वयन के लिए दि.वि.प्रा. के योजना विभाग में एक निगरानी इकाई बनाई गई और मुख्य योजना के कार्यान्वयन की निगरानी के लिए उपराज्यपाल, दिल्ली के अधीन एक उच्च स्तरीय समिति गठित की गई । दि.वि.प्रा. ने दिनांक 17.12.2008 को आयोजित की गई प्राधिकरण की अपनी बैठक में 15 क्षेत्रीय विकास योजनाओं को भी अनुमोदित किया ।

16.2 दिल्ली विकास प्राधिकरण ने, अधिनियम की धारा 5-ए के अंतर्गत शक्तियों का प्रयोग करते हुए, दिनांक 31 जुलाई, 2008 की अधिसूचना के द्वारा एकीकृत यातायात और परिवहन आधारिक-संरचना (योजना और इंजीनियरिंग) केन्द्र की स्थापना की । इस केन्द्र की स्थापना आवागमन बढ़ाने, भीड़भाड़ कम करने और मानक परिवहन योजना प्रक्रिया को लागू करके यातायात सुरक्षा को बढ़ाने, क्षमता निर्माण, प्रवर्तन उपायों सड़क सुरक्षा नियंत्रण, दक्ष लेन क्षमता और वर्क-जोन प्रबंध द्वारा सुधारे हुए यातायात प्रबंध के लिए यातायात इंजीनियरिंग प्रक्रिया और बेहतर संगठनात्मक समन्वय, सेवाओं का समन्वय, यातायात पालन पद्धति विकसित करने और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में यातायात योजना में कमी से बचने के लिए की गई है ।

16.3 जैसा कि अध्याय 4 में पहले ही उल्लिखित है, दिल्ली विकास प्राधिकरण को अक्षरधाम मंदिर के पास राष्ट्रमंडल खेल गांव का विकास करने और विभिन्न प्रतियोगिताओं और प्रशिक्षण के लिए स्थलों का निर्माण करने का कार्य सौंपा गया है ।

16.4 अनधिकृत कालोनियों के नियमन के लिए दि.वि.प्रा. द्वारा तैयार किए गए विनियमों को दिल्ली विकास अधिनियम, 1957 के अंतर्गत भारत के असाधारण राजपत्र में दिनांक 24.3.2008 को अधिसूचित किया गया और इन विनियमों के अन्य संशोधन भी 16.6.2008 को दि.वि.प्रा. द्वारा जारी किए गए ।

## दि.वि.प्रा. आवास

**16.5 निम्नलिखित विवरण आवास के संबंध में किए गए आबंटनों को दर्शाता है :**

| **किए गए आबंटन** | | |
|---|---|---|
| (i) | एल.आई.जी. | 3790 |
| (ii) | एम.आई.जी. | 948 |
| (iii) | एस.एफ.एस. | 506 |
| (iv) | ई.एच.एस. | 285 |
| | कुल | 5535 |
| | नामांतरण की अनुमति दी | 843 |
| | परिवर्तन की अनुमति दी | 4260 |

टिप्पणी: एल.आई.जी. : निम्न आय वर्ग, एम.आई.जी. : मध्य आय वर्ग, एस.एफ.एस. : स्व वित्त योजना, ई.एच.एस.: विस्तारणीय आवास योजना

दि.वि.प्रा. की आवास योजना 2008 के अन्तर्गत 5,66,084 आवेदन फार्म प्राप्त हुए और दिसंबर, 2008 में इनकी लाटरी निकाली गई । तथापि, इस समय मामला निर्णयाधीन है ।

## दि.वि.प्रा. खेलकूद

16.6 दि.वि.प्रा. द्वारा विकसित खेलकूद आधारित संरचना में 13 खेल परिसर, 1 लघु खेल परिसर, 39 मल्टीजिम जिसमें से 2 महिलाओं के लिए हैं, 14 स्वीमिंग पूल, 2 गोल्फ कोर्स, 1 मिनी गोल्फ कोर्स और 3 गोल्फ ड्राइविंग रेंज शामिल हैं । खेल परिसरों में 20 से अधिक खेल सुविधाएँ जैसे :—टेनिस, बैडमिन्टन, स्कवॉश, टेबल टैनिस, बिलियर्ड एंड स्नूकर, बास्केटबाल, हॉकी/क्रिकेट/फुटबाल, जोगिंग ट्रैक, स्केटिंग, तैराकी, एरोबिक्स, योग टाइकवैन्डो, फिटनैस सेन्टर इत्यादि प्रदान की जाती हैं । दि.वि.प्रा. खेल परिसरों की सदस्यता दी जाती है तथा अन्य व्यक्ति मामूली भुगतान करके इसका उपयोग कर सकते हैं ।

16.7 सभी खेल परिसरों में विभिन्न श्रेणियों में 50,000 से अधिक सदस्य नामांकित हैं । खेल परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं का दैनिक उपयोग औसतन 12,000 से 14, 000 व्यक्ति करते हैं ।

## दि.वि.प्रा. उद्यान

16.8 दि.वि.प्रा. का जोर हरित क्षेत्रों को विकसित करने पर रहा है, जो शहर को स्वच्छ वायु देते हैं । दि.वि.प्रा. गर्व से दावा कर सकता है कि उसने देश के श्रेष्ठ पार्कों/हरित क्षेत्रों का सृजन किया है । दि.वि.प्रा. ने लगभग 16000 एकड़ हरित क्षेत्र का विकास किया है जिसमें नगर वन, वन क्षेत्र, हरित पट्टियाँ, जिला पार्क, क्षेत्रीय पार्क, समीपवर्ती पार्क तथा आवासीय कालोनियों में टॉट-लॉट्स शामिल हैं ।

## दि.वि.प्रा. द्वारा आवासीय भवनों का निर्माण

16.9 1.4.2008 को निर्माणाधीन मकानों, 2008-2009 के दौरान शुरू किए गए मकानों तथा 2008-09 के दौरान दि.वि.प्रा. द्वारा पूरे किए गए मकानों का संक्षिप्त विवरण निम्नलिखित है :

| क्र.सं. | विवरण | एच.आई.जी. | एम.आई.जी. | एल.आई.जी. | ई.डब्ल्यू.एस/जनता | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.2008 को निर्माणाधीन मकान | 3155 | 771 | 8027 | 1850 | 13803 |
| 2 | 2008-09 के दौरान बनाए जाने वाले नए मकानों का लक्ष्य | 3000 | 2005 | 3341 | 10000 | 8346 |
| 3 | 31.12.08 तक निर्माण हेतु शुरू किए गए नए मकान | 880 | शून्य | 480 | 1220 | 2580 |
| 4 | 1.1.09 से 31.3.09 तक निर्माण कार्य शुरू किए जाने की संभावना वाले नए मकान | 2120 | 2005 | 2861 | 8780 | 5766 |
| 5 | 2008-09 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकानों का लक्ष्य | 216 | शून्य | 830 | शून्य | 1046 |
| 6 | 31.12.08 तक पूरे किए गए मकान | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य | शून्य |
| 7 | 1.1.09 से 31.3.09 के दौरान पूरे किए जाने वाले मकान | 216 | शून्य | 830 | शून्य | 1046 |
| 8 | 1.1.2009 को निर्माणाधीन मकान | 4035 | 771 | 8507 | 3070 | 6383 |

टिप्पणी : एल.आई.जी. : निम्न आय वर्ग, एम.आई.जी. : मध्यम आय वर्ग, एच.आई.जी: उच्च आय वर्ग, ई.डब्ल्यू.एस: आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग

### दि.वि.प्रा. द्वारा व्यावसायिक केन्द्रों का विकास

16.10 1.4.2008 को प्रगतिधीन विभिन्न विपणन/व्यावसायिक परिसरों की स्थिति और 2008-09 के दौरान शुरू तथा पूरे किए गए नए परिसरों की स्थिति निम्नलिखित है :

| क्रम सं. | विवरण | डी.सी. | सी.सी. | एल.एस.सी. | सी.एस.सी. | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1.4.2008 को निर्माणाधीन व्यावसायिक केन्द्र | 3 | 15 | 8 | 4 | 30 |
| 2 | 2008-09 में निर्माण किए जाने वाले नए व्यावसायिक परिसर | 1 | 9 | 8 | 11 | 29 |

| क्रम सं. | विवरण | डी.सी. | सी.सी. | एल.एस.सी. | सी.एस.सी. | कुल |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 31.12.08 तक निर्माण हेतु शुरू किए गए नए व्यावसायिक केन्द्र परिसर | शून्य | 1 | शून्य | शून्य | 1 |
| 4 | 1.1.09 से 31.3.09 के दौरान निर्माण शुरू किए जाने वाले नए व्यावसायिक परिसर | 1 | 9 | 8 | 11 | 29 |
| 5 | 2008-09 के दौरान पूरे किए जाने वाले व्यावसायिक केन्द्रों का लक्ष्य | 2 | 4 | 2 | 3 | 11 |
| 6 | 31.12.08 तक पूरे किए गए व्यावसायिक केन्द्र | 2 | शून्य | 1 | 1 | 4 |
| 7 | 1.1.2009 से 31.3.09 के दौरान निर्माण पूरा किए जाने की संभावना वाले व्यावसायिक केन्द्र | 2 | 3 | शून्य | शून्य | 5 |
| 8 | 1.1.2009 को निर्माणाधीन व्यावसायिक केन्द्र | 1 | 16 | 7 | 3 | 27 |

टिप्पणी : डी.सी.—जिला केन्द्र, सी.सी.—समाज सदन, एल.एस.सी.—स्थानीय बाज़ार, सी.एस.सी.—सुविधा बाजार

## दि.वि.प्रा. की भूमि से संबंधित स्कीमें :—

16.11 वर्ष 2008-2009 के दौरान, दि.वि.प्रा. ने नए उप-नगरों का विकास करके तथा द्वारका, नरेला, धीरपुर, रोहिणी, वसंत कुंज फेज़-II, लोकनायक पुरम (बक्करवाला) जैसे शहरी विस्तार क्षेत्रों में सड़कों, सीवरेज, मल जल-निकासी, जलापूर्ति, पॉवर लाइनों आदि भौतिक आधारिक संरचना का सृजन और मनोरंजनात्मक सुविधाओं की व्यवस्था करके मुख्य योजना के अनुसार विकास कार्यकलापों तथा नगर-सीमाओं का विस्तार करने के कार्यों को जारी रखा ।

## 2008-2009 के दौरान पूरी की गईं विशेष प्रमुख परियोजनाएं :—

1. अ.रा.ब.अ., सराय काले खां फेज-II के निकट मिलेनियम पार्क ।
2. अलकनंदा में मंदाकिनी के सामने समाज सदन एवं पुस्तकालय ।
3. वसंत कुंज में स्मृतिवन का विकास ।
4. हौज़खास ज़िला पार्क का उन्नयन एवं सौंदर्यकरण ।
5. धौला कुआँ में झील पार्क का उन्नयन ।

## पूरे किए गए खेलकूद कार्य-कलाप :—

1. मेजर ध्यानचन्द खेल परिसर में लॉन टेनिस के दो कोर्ट्स के तल को फिर से बिछाना ।
2. मेजर ध्यान चन्द खेल परिसर में लॉन टेनिस के दो कोर्ट्स में सिंथेटिक टर्फ बिछाना ।
3. साकेत खेल परिसर में कवर्ड बैडमिंटन हॉल ।
4. सरिता विहार में ऑक्सीडेशन पौंड के निकट क्रीडा क्षेत्र का विकास ।

## दि.वि.प्रा. भूमि प्रबंध

16.12 दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास इसके क्षेत्राधिकार में विभिन्न श्रेणियों के बहुत बड़े क्षेत्रफल वाली भूमि है । दिल्ली विकास प्राधिकरण तत्कालीन दिल्ली इम्प्रूवमेंट से प्राप्त नजूल-I की भूमि की देखभाल करने के अतिरिक्त सन् 1957 के बाद दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा अधिग्रहीत की गई नजूल-2 की भूमि का प्रबंध एवं देख-रेख भी करता है । दिल्ली विकास प्राधिकरण के पास कुछ ऐसी भूमि भी है जो तत्कालीन पुनर्वास मंत्रालय के एक पैकेज डील के अंतर्गत ली गई थी । इसके अतिरिक्त भूमि एवं विकास कार्यालय, शहरी कार्य मंत्रालय की भी कुछ भूमि देख-भाल एवं रख-रखाव के उद्देश्य के लिए दि.वि.प्रा. के पास है । इस भूमि का उपयोग एवं आबंटन भूमि एवं विकास कार्यालय द्वारा किया जाता है ।

| | | |
|---|---|---|
| 1) | परिवर्तन के मामले, जिन्हें अन्तिम रूप दिया गया | 9110 |
| 2) | नामान्तरण की अनुमति दी गई | 579 |
| 3) | नीलाम किए गए प्लाटों की संख्या | 01 |
| 4) | नीलाम की गई दुकानें/कार्यालय/कियोस्क | 86 |

इसके अतिरिक्त, 2009-10 के दौरान निविदाओं के माध्यम से 126 यूनिटें भी निपटान हेतु प्रस्तावित की गई हैं ।

## दि.वि.प्रा. का विशेष ध्यान

16.13 विशेष ध्यान के रूप में निम्नलिखित कार्यकलाप आरंभ किए गए हैं/आरंभ किए जा रहे हैं :—

i) **ई.डब्ल्यू.एस.आवास**— आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्गों (ई.डब्ल्यू.एस.) अर्थात् स्लम-वासियों के उत्थान हेतु और उन्हें एक स्वस्थ पर्यावरण प्रदान करने के लिए शहरी विकास मंत्रालय ने दिल्ली में विभिन्न स्थानों पर दि.वि.प्रा. द्वारा एक लाख ई.डब्ल्यू.एस. आवासों का निर्माण करने का निर्णय लिया है । 46,360 आवासीय इकाइयों हेतु स्थलों की पहचान कर ली गई है और वर्ष 2009 में इनका निर्माण आरंभ किए जाने की संभावना है ।

ii) **फ्लाईओवर**— दिल्ली में यातायात की समस्या का समाधान करने के लिए दि.वि.प्रा. को फ्लाईओवरों का निर्माण करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी और 31 मार्च, 2005 तक 12 (बारह) फ्लाईओवर पूरे किए गए ।

iii) **बरसाती जल-संग्रहण**— विभिन्न परियोजनाओं में बरसाती जल संग्रहण स्कीमें लागू की जा रही हैं ।

iv) **बी.ओ.टी.शौचालय**— अब तक, दिल्ली में हरित क्षेत्रों और व्यावसायिक स्थानों पर बिल्ड, ऑपरेट और ट्रांसफर (बी.ओ.टी.) आधार पर 24 शौचालय ब्लॉकों का निर्माण किया गया है । बी.ओ.टी. शौचालयों का निर्माण करने हेतु 65 और स्थान निर्धारित किए गए हैं ।

## दि.वि.प्रा. वित्तीय निष्पादन

16.14 वर्ष 2008-09 की प्राप्तियों और भुगतान का विवरण निम्नानुसार था, जो आंकड़ों के संराधन पर आधारित है :—

आंकड़े करोड़ रु. में

| क्रम सं. | लेखाशीर्ष | प्राप्तियां | | | भुगतान | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | बजट अनुमान 2007-08 | संशोधित अनुमान 2007-08 | बजट अनुमान 2008-09 | बजट अनुमान 2007-08 | संशोधित अनुमान 2007-08 | बजट अनुमान 2008-09 |
| 1 | नजूल लेखा-I | 22.68 | 12.50 | 3.03 | 19.08 | 16.38 | 18.73 |
| 2 | नजूल खाता-II | 2433.91 | 3765.41 | 3496.86 | 2115.80 | 1514.34 | 2106.34 |
| 3 | सामान्य विकास खाता | 1493.46 | 1623.06 | 1415.89 | 1069.29 | 778.36 | 1497.53 |
| | **कुल** | **3950.05** | **5400.97** | **4915.78** | **3204.17** | **2309.08** | **3622.60** |

## दि.वि.प्रा.—लेखा परीक्षा

16.15 दि.वि.प्रा. से संबंधित लेखा परीक्षा पैराओं के संबंध में निम्नलिखित स्थिति नोट की जा सकती है :

- पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी (पी.ए.सी.) 3 पैराओं के उत्तर वर्ष 2008-09 के दौरान (दिसंबर तक) भेजे गए ।
- नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सी.ए.जी.)—11 सी ए जी पैराओं के मसौदा उत्तर तैयार किये गए ।
- मसौदा लेखा परीक्षा पैरा ग्राफ 8 ''मसौदा'' लेखा परीक्षा पैराओं को इनके सी ए जी रिपोर्ट से निकालने का निर्णय लेने हेतु उत्तर दिये गए ।
- तथ्यों का विवरण : 22 तथ्यों के विवरण के उत्तर महालेखाकार (लेखा परीक्षा) को भेजे गए ।

## दि.वि.प्रा.—सार्वजनिक सुविधाओं का सरलीकरण

16.16 दि.वि.प्रा. अपनी विभिन्न गतिविधियों जैसे:—पंजीकरण, आबंटन, रद्दकरण, नामांतरण/अंतरण, पता परिवर्तन, भुगतान के तरीके में परिवर्तन हेतु **'आवास'** प्रबंध एवं लेखाकरण सॉफ्टवेयर पैकेज का उपयोग करता है और इस पैकेज द्वारा प्राप्तियों की गणना की जाती रही है। सभी आबंटन इसी प्रणाली के माध्यम से किये जाते हैं । मामलों के शीघ्र निपटान को सरल बनाने के लिए आवास की प्राप्तियों हेतु ऑन लाइन सत्यापन सभी लेखा जोनों में शुरू कर दिया गया है । मांग एवं संकलन लेजर, गैर वसूली प्रमाण-पत्रों, विविध देनदारों और चूककर्ताओं की सूची की प्रक्रियाएं भी ऑन लाइन कर दी गई हैं । 1 अप्रैल 2008 से 31 मार्च 2009 की अवधि के दौरान आवास के माध्यम से लगभग 6222 आबंटन किये गए और अन्य रिपोर्टें तैयार की गईं ।

16.17 **दि.वि.प्रा. की डाइनामिक वेबसाइट** http://www.dda.org द्विभाषी (अंग्रेजी और हिन्दी में) है और दि.वि.प्रा. के विभिन्न कार्यों जैसे आवास, भूमि, मुख्य योजना, खेलकूद, पर्यावरण, जैव वैविध्य पार्क आदि की सूचनाएं प्रदान करती है । दि.वि.प्रा. की विभिन्न प्रक्रियाओं, ड्रॉ, निविदा, नीलामी आदि के माध्यम से प्लाटों और निर्मित इकाइयों, दोनों सम्पत्तियों के परिणामों की सूचना, निविदा, नीलामी जैसी सार्वजनिक हित की सूचनाएं भी

वेबसाइट पर उपलब्ध हैं । सार्वजनिक सूचनाएं, निविदासूचनाएं भी वेबसाइट पर प्रदर्शित की जाती हैं । पंजीकरण विवरण/वरीयता स्थिति/आवंटन स्थिति/भुगतान स्थिति/आवंटन स्थिति/भुगतान विवरण देखने के लिए प्रपत्रों के माध्यम से डाटाबेसों से चौबीसों घंटे पूछताछ करने का प्रावधान भी किया गया है ।

## दि.वि.प्रा.—जन सूचना का अधिकार (आर.टी.आई.) और समन्वय

16.18 आर.टी.आई. के लिए दि.वि.प्रा. ने अपने कार्यालयों में 14 पृथक काउन्टर खोले हैं जहां फार्म/आवेदन प्राप्त किये जाते हैं और फीस भी ली जाती है । दि.वि.प्रा. ने पांच सलाहकार भी नियुक्त किये हैं जो आर.टी.आई. से संबंधित पूछताछ में जनता की सहायता करते हैं। आर.टी.आई. से संबंधित सूचना प्राप्त करने के लिए एक आवेदन पत्र तैयार किया गया है जो अनिवार्य नहीं है और शुल्क मुक्त है किन्तु दि.वि.प्रा. डाक के माध्यम से, इलैक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से सादा कागज पर भी आवेदन-पत्र प्राप्त करता है ।

16.19 दि.वि.प्रा. ने विभिन्न विभागों से संबंधित 55 जन सूचना अधिकारियों की नियुक्ति की है । जन सूचना अधिकारियों की इतनी बड़ी संख्या आवश्यक है क्योंकि दि.वि.प्रा. के कार्यालय विस्तृत क्षेत्र में फैले हुए हैं । सभी जन सूचना अधिकारियों को ई-मेल आई डी प्रदान की गई हैं जो जन सूचना अधिकारियों और अपील प्राधिकारियों तक जनता की पहुंच को सरल बनाती है ।

## दि.वि.प्रा.—सतर्कता

16.20 दि.वि.प्रा. का सतर्कता विभाग भ्रष्टाचार विरोधी उपायों के कार्यान्वयन के लिए जिम्मेवार है और केन्द्रीय सतर्कता आयोग, कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग और शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समय-समय पर जारी अनुदेशों के अनुसार सेवा में सत्यनिष्ठा की जांच करता है ।

**(I) 1.4.2008 से 31.12.2008 के दौरान आरंभ किये गए अनुशासनात्मक मामले :**

| वर्ष | जारी की गई चार्ज शीटों की संख्या | भारी दंड | मामूली दंड |
|---|---|---|---|
| 2008-09 (1.4.2008 से 31.12.2008 तक) | 179 | 161 | 18 |

**(II) 1.4.2008 से 31.12.2008 तक के दौरान अनुशासनात्मक मामलों को अन्तिम रूप दिया गया ।**

| वर्ष | मामलों की संख्या जिन्हें अन्तिम रूप दिया गया | जुर्माना लगाया गया | दोष मुक्त किया गया |
|---|---|---|---|
| 2008-09 (1.4.08 से 31.12.08 तक) | 161 | 137 | 24 |

**(III) प्राप्त की गई और जांच की गई सामान्य शिकायतें ।**

| वर्ष | खुली सामान्य शिकायतें | वर्ष के दौरान प्राप्त | निपटाई गई | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2008-09 (1.4.08 से 31.12.08 तक) | 1740 | 751 | 971 | 1520 |

**(IV) आरंभिक पूछताछ जिन्हें पंजीकृत किया गया और जांच की गई**

| वर्ष | खुली प्रारंभिक पूछताछ | वर्ष के दौरान पंजीकृत | जांच की गईं | शेष |
|---|---|---|---|---|
| 2008–09<br>(1.4.08 से 31.12.08 तक) | 466 | 129 | 101 | 494 |

## दि॰वि॰प्रा॰—मुकदमे

16.21 दि॰वि॰प्रा॰ से संबंधित मुकदमों के मामलों के संबंध में निम्नलिखित स्थिति प्रगट होती है :

(क) कार्मिक

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मामलों की कुल संख्या | 57 | |
| 1 | उच्चतम न्यायालय | | 05 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 20 | |
| 3 | जिला न्यायालय | 32 | |

| | |
|---|---|
| वर्ष 2008 में निर्णीत मामलों की संख्या | 74 |
| दि॰वि॰प्रा॰ के पक्ष में | 57 |

(ख) सतर्कता

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मामलों की कुल संख्या | | 92 |
| 1 | केन्द्रीय प्रशासनिक अधिकरण (कैट) | 74 | |
| 2 | उच्च न्यायालय | 17 | |
| 3 | जिला न्यायालय | 01 | |

| | |
|---|---|
| वर्ष 2008 में निर्णीत मामलों की संख्या | 87 |
| दि॰वि॰प्रा॰ के पक्ष में | 36 |

(ग) भवन

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मामलों की कुल संख्या | | 57 |
| 1 | उच्चतम न्यायालय | | 05 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 20 | |
| 3 | जिला न्यायालय | 32 | |

| | |
|---|---|
| वर्ष 2008 में निर्णीत मामलों की संख्या | 07 |
| दि॰वि॰प्रा॰ के पक्ष में | 03 |

(घ) आवास

| | | | |
|---|---|---|---|
| | मामलों की कुल संख्या | | 1991 |
| 1 | उच्चतम न्यायालय | | 25 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 437 | |

| | | |
|---|---|---|
| 3 | एम॰आर॰टी॰पी॰ | 33 |
| 4 | तीस हजारी | 504 |
| 5 | राज्य आयोग | 661 |
| 6 | जिला फोरम | 254 |
| 7 | राष्ट्रीय आयोग | 77 |

(ड़) निर्णीत/निपटाये गए मामले

| क्रम सं॰ | न्यायालय का नाम | दायर किए गए मामले | निपटाए गए मामले | पक्ष में निर्णीत मामले | दि.वि.प्रा. के विरूद्ध निर्णीत मामले |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उच्चतम न्यायालय | 5 | 4 | – | 4 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 171 | 229 | 158 | 71 |
| 3 | एम॰आर॰टी॰पी॰ | – | 06 | 05 | 07 |
| 4 | तीस हज़ारी न्यायालय | 95 | 32 | 24 | 08 |
| 5 | राज्य आयोग | 14 | 82 | 08 | 74 |
| 6 | जिला फोरम | 45 | 18 | 04 | 14 |
| 7 | राष्ट्रीय आयोग | 08 | 02 | 01 | 01 |

(च) भूमि प्रबंधन

दिनांक 31.12.2008 को लम्बित कुल मामले

| | | |
|---|---|---|
| 1 | उच्चतम न्यायालय | 504 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 2900 |
| 3 | जिला न्यायालय | 5782 |

(छ) भूमि निपटान

| क्र॰ सं॰ | न्यायालय का नाम | 31.3.2008 को लम्बित मामले | 1.4.2008 से 31.12.2008 तक नये मामले | 1.4.2008 से 31.12.2008 तक निर्णीत मामले | 31.12.2008 को लम्बित मामले |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | उच्चतम न्यायालय | 94 | 15 | 01 | 109 |
| 2 | उच्च न्यायालय | 2929 | 300 | 212 | 3017 |
| 3 | एम॰आर॰टी॰पी॰ | 12 | 02 | – | 14 |
| 4 | जिला न्यायालय | 1089 | 143 | 152 | 1080 |
| 5 | राज्य आयोग | 21 | 04 | 03 | 22 |
| 6 | जिला फोरम | 112 | 17 | 07 | 122 |
| 7 | राष्ट्रीय आयोग | 08 | 03 | 01 | 10 |

## 2. राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड

16.22 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड संसद द्वारा पारित और हरियाणा, राजस्थान तथा उत्तर प्रदेश के विधान मंडलों द्वारा विधिवत पुष्टि किए गए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 द्वारा अस्तित्व में आया। उक्त अधिनियम की प्रस्तावना निर्धारित करता है: ''राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिये योजना तैयार करने और ऐसी योजना के क्रियान्वयन के समन्वयन तथा अनुवीक्षण हेतु योजना बोर्ड के गठन का प्रावधान करने के लिए एक अधिनियम ......।'' इस प्रकार, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र की स्थापना करने का औचित्य निम्नलिखित उद्देश्य से इस क्षेत्र के लिए एक विकास योजना तैयार करना है:

- इस क्षेत्र के लिए विकास योजना के क्रियान्वयन का समन्वयन और अनुवीक्षण;
- भू-उपयोगों के नियंत्रण के लिए सामंजस्यपूर्ण नीतियां विकसित करना;
- इस क्षेत्र में उच्च गुणवत्ता वाली अवसंरचना विकसित करना।

16.23 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में 33,578 वर्ग कि.मी. का क्षेत्र शामिल है और इसके दायरे में हरियाणा के आठ जिले, उत्तर प्रदेश के पांच जिले, राजस्थान का एक जिला तथा दिल्ली का सम्पूर्ण राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र आता है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में क्षेत्र से बाहर के पांच काउंटर मैग्नेट-क्षैत्र नामत: हिसार (हरियाणा), बरेली (उत्तर प्रदेश), कोटा (राजस्थान), पटियाला (पंजाब), तथा ग्वालियर (मध्यप्रदेश) भी शामिल हैं।

16.24 वर्ष 2008-09 के दौरान, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा निम्नलिखित महत्वपूर्ण क्रियाकलाप किए गए हैं:

### राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना—2021 के अन्तर्गत उप-क्षेत्रीय योजनाओं का तैयार किया जाना

16.25 बोर्ड ने क्षेत्रीय योजना 2021 तैयार की थी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की 9.7.2005 को आयोजित 28वीं बैठक में अनुमोदन के साथ, इसे 17.9.2005 को विधिवत अधिसूचित कर दिया गया था।

16.26 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम 1985 की धारा 17(1) के अन्तर्गत प्रत्येक सहभागी राज्य उस राज्य के भीतर उप-क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना तैयार की जाएगी संघ शासित क्षेत्र उप-क्षेत्र के लिए संघ क्षेत्र के भीतर उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करेगा।

16.27 24.5.2006 को आयोजित बोर्ड की 29वीं बैठक में, संघटक राज्यों के प्रतिनिधियों से अपने संबंधित उप-क्षेत्रों की उप-क्षेत्रीय योजनाएं बनाने का अनुरोध किया गया था।

16.28 हरियाणा सरकार ने हरियाणा उप-क्षेत्र के लिए उप-क्षेत्रीय योजना तैयार करने हेतु परामर्शदाता की नियुक्ति कर दी हैं। राजस्थान सरकार और उत्तर प्रदेश सरकार परामर्शदाता की नियुक्ति करने की प्रक्रिया में लगे हैं। संघटक राज्य सरकारों से उप-क्षेत्रीय योजनाएं बनाने में तेजी लाए जाने के लिए इस मामले पर कार्रवाई की जा रही हैं।

### कार्यात्मक योजनाएं तैयार करना

16.29 बोर्ड जलनिकासी, विद्युत, जल और परिवहन के बारे में कार्यात्मक योजनाएं तैयार कर रहा हैं। जलनिकासी तथा विद्युत के संबंध में कार्यात्मक योजनाएं बनाने के लिए अध्ययन समूहों का गठन कर दिया गया हैं और प्रत्येक अध्ययन समूह की दो बैठकें हो चुकी हैं। राज्यों से इस प्रयोजन के लिए आधारभूत आंकड़ा मुहैया कराने का अनुरोध किया गया है। जल तथा परिवहन के बारे में कार्यात्मक योजना तैयार करने के संबंध में, परामर्शदाता को अध्ययन उपलब्ध करा दिए गए हैं जिससे इन क्षेत्रों में अन्तत: कार्यात्मक योजनाएं बनाने को बढ़ावा मिलेगा।

## मास्टर/विकास योजनाएं तैयार करना

16.30 संघटक राज्य अपने संबंधित उप-क्षेत्रों में विभिन्न शहरी बस्तियों के लिए मास्टर/विकास योजनाएं बनाते रहे हैं। वर्ष 2008-09 के दौरान, बोर्ड को संघटक राज्यों से तीन नगरों के लिए मसौदा मास्टर/विकास योजनाओं की प्रतियां प्राप्त हुईं और उसकी जांच की गई। बोर्ड की टिप्पणियां संबंधित विभागों को उसे अन्तिम योजनाओं में शामिल करने के लिए भेज दी गई थीं।

16.31 बोर्ड ने एसपी डी-2021 के उपबंधों के अन्तर्गत तैयार विभिन्न अंचलों के लिए 14 मसौदा आंचलिक योजनाओं की जांच की और डी डी ए को अपने सुझाव/आपत्तियां अन्तिम आंचलिक योजनाओं में शामिल करने के लिए दर्ज कराई। बोर्ड द्वारा अनुमोदन हेतु दिल्ली विकास प्राधिकरण द्वारा 14 संशोधित मसौदा ज़ोनल योजनाओं की भी जांच की जा रही है।

## नए नगरों का प्रस्तावित विकास

16.32 इस क्षेत्र में विकास के लिए महत्वूर्ण प्रभाव डालने और कैटालिस्ट के रूप में कार्य करने के उद्देश्य से, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड का सहभागी राज्यों के सहयोग से महत्वूपर्ण परिवहन गलियारों के साथ नए नगरों के विकास का प्रस्ताव है। ये नए नगर निवेश आकर्षित करेंगे और रोजगार सृजित करेंगे और वाणिज्य परिसरों के साथ उच्च गुणवत्ता युक्त अवसंरचना के साथ आदर्श औद्योगिक सम्पदाएं मुहैया करायेंगे।

(क) **राजस्थान उप-क्षेत्र:** राजस्थान उप-क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग-8 पर शाहजहांपुर-नीमराना-बेहरोर में एक नए नगर-वैश्विक शहर के लिए विकास रणनीति और कार्रवाई योजना बनाने संबंधी एक अध्ययन इस नए नगर के विकास के लिए रणनीति और कार्रवाई योजना तैयार करने हेतु राजस्थान सरकार के सहयोग से राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा शुरू कराया गया था। यह अध्ययन पूरा हो गया है और आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु इसकी प्रतियां राजस्थान सरकार औद्योगिक नीति एवं संवर्धन विभाग - वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय, शहरी विकास मंत्रालय तथा दिल्ली-मुम्बई औद्योगिक गलियारा विकास निगम के सलाहकार को भेज दी गई हैं। इस रिपोर्ट का कार्यकारी सारांश भी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड की वेबसाईट पर उपलब्ध है।

(ख) **हरियाणा उप-क्षेत्र:** हरियाणा सरकार ने सांपला तथा समालखा में नए नगरों को विकसित करने हेतु कार्रवाई शुरू की है। हरियाणा सरकार द्वारा सांपला के लिए विकास योजना का प्रारूप तैयार कर लिया गया है और समालखा के लिए मसौदा योजना तैयार की जा रही है।

(ग) **उत्तर प्रदेश उप-क्षेत्र:** उत्तर प्रदेश सरकार का प्रस्ताव ग्रेटर नोएडा फेज-II विकसित करने का है जिसके लिए ग्रेटर नोयडा प्राधिकरण द्वारा मास्टर योजना तैयार की जा रही है।

## मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय संचालन समिति का गठन

16.33 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना — 2021 जो 17.9.2005 को अधिसूचित की गई थी, में क्रियान्वयन हेतु कार्रवाई योजना का प्रावधान है। कारगर क्रियान्वयन के साथ-साथ इसके नियमित अनुवीक्षण के मामले पर सचिव, शहरी विकास, भारत सरकार की अध्यक्षता में 24.10.2007 को हुई अधिकार प्राप्त समिति की दूसरी बैठक में विचार-विमर्श किया गया था। बैठक में यह निर्णय लिया गया था कि सहभागी राज्य राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड अधिनियम, 1985 में यथा परिकल्पित विभिन्न योजनाओं को तैयार करने का राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए क्षेत्रीय योजना-2021 तथा विभिन्न परियोजनाओं की नीतियों एवं प्रस्तावों के क्रियान्वयन की प्रति तिमाही आधार पर समीक्षा करने के साथ-साथ समन्वय के लिए संबंधित विभागों/एजेंसियों के सचिवों और सदस्य के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड के सदस्य सचिव/प्रतिनिधि के साथ संबंधित राज्यों के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में संचालन समिति को पुनजीवित/पुन:गठित करेंगे।

16.34 हरियाणा, राजस्थान तथा एन सी टी – दिल्ली की सरकारों ने अपने संबंधित उप-क्षेत्रों के लिए संचालन समिति का गठन कर लिया है और हरियाणा तथा एन सी टी–दिल्ली की प्रत्येक संचालन समिति की प्रथम बैठक आयोजित की जा चुकी है एवं राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए आर पी 2021 की नीतियों एवं प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए इन राज्यों के विभिन्न विभागों द्वारा आगे की आवश्यक कार्रवाइयां की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश सरकार से संचालन समिति गठित करने के लिए कहा जा रहा है।

## पेरीफेरल एक्सप्रेसवे

16.35 पांच राष्ट्रीय राजमार्ग, नामतः, एन एच–1 एन एच–2, एन एच–8, एन एच–10 तथा एन एच–24, एन सी टी–दिल्ली में रिंग रोड में मिलते हैं जिससे न केवल रिंग रोड पर भारी भीड़भाड़ होती है अपितु दिल्ली के सम्पूर्ण शहरी क्षेत्र में सड़कों पर भीड़भाड़ हो जाती है।

16.36 दिल्ली से बाहर ऊपर उल्लिखित सभी पांच राष्ट्रीय राजमार्गों के लिए बाई पासेज/लिंकेज की व्यवस्था करने के उद्देश्य से, क्षेत्रीय योजना में एक पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का प्रस्ताव था। दिल्ली के पश्चिमी पेरीफेरल के बाहर बरास्ता एन एच–10 व एन एच–8 से दक्षिण में फरीदाबाद में एन एच–2 से उत्तर में कुंडली में एन एच–1 को जोड़ने वाली इस बाई–पास सड़क के पश्चिमार्द्ध को पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के रूप में किया गया है। दिल्ली के पूर्वी ओर बरास्ता एन एच–24 से दक्षिण में फरीदाबाद में एन एच–2 से उत्तर में कुंडली से एन एच–1 को जोड़ने वाली इस सड़क के पूर्वी अर्द्ध को पूर्वी पेरीफरेल एक्सप्रसवे के रूप में विनिर्दिष्ट किया गया है।

16.37 पश्चिमी पेरीफेरल एक्सप्रसवे का कार्य हरियाणा सरकार द्वारा 23 वर्ष तथा 9 माह की रियात अवधि (निर्माण अवधि के तीन वर्षों सहित) के लिए 31.1.2006 को कन्सेसनियर को दिया गया है। इस एक्सप्रेसवे की कुल लम्बाई 135.65 कि.मी. है। यह कार्य जुलाई, 2009 तक पूरा हो जाने की उम्मीद है। इसे हरियाणा सरकार द्वारा क्रियान्वित किया जा रहा है।

16.38 पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के लिए परियोजना रिपोर्ट का ब्यौरा तैयार कर लिया गया है। भूमि अधिग्रहण प्रगति पर है। इस परियोजना के पूर्ण होने की लक्ष्यित तिथि जनवरी, 2011 है। पूर्वी पेरीफेरल एक्सप्रेसवे का क्रियान्वयन एन एच ए आई द्वारा किया जा रहा है।

16.39 पेरीफेरल एक्सप्रेसवे के क्रियान्वयन की प्रगति का अनुवीक्षण इस परियोजना के क्रियान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय होने के नाते पोत, सड़क परिवहन तथा राजमार्ग मंत्रालय द्वारा किया जा रहा है।

## एन सी आर नगरों के लिए मेट्रो रेल का विस्तार

16.40 एन सी आर नगरों, नामतः हरियाणा उप–क्षेत्र के गुड़गाव, परीदाबाद व बहादुरगढ़ तथा उत्तर प्रदेश उप–क्षेत्र के नोएडा व गाजियाबाद को दिल्ली मेट्रो की कनेक्टिविटी उपलब्ध कराने के उद्देश्य से, यह मामला दिल्ली मेट्रों के साथ उठाया गया था और इन नगरों को दिल्ली मेट्रो के विस्तार के माध्यम से सी एन सी आर नगरों के लिए व्यापक कम्पूटर प्रणाली मुहैया कराने हेतु प्रस्तावों पर डी एम आर सी द्वारा सहमति प्रदान कर दी गई है। जैसा कि अध्याय–7 में पहले ही नोट किया गया है, दिल्ली–गुडगाँव और दिल्ली–नोएडा गलियारा पर कार्य प्रगति पर है।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल लिंक

16.41 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में रेल कनेक्टिविटी में सुधार लाने के उद्देश्य से, निम्नलिखित रेल गलियारों में कार्य की प्रगति––

**कार्य प्रगति परः**

(i) रिवाड़ी–झज्जर–रोहतक को जोड़ने वाली रेल लाइन

(ii) सोनीपत–गुहाना–जींद को जोड़ने वाली रेल लाईन

(iii) तुगलकाबाद–पलवल पर चौथी–IV लाइन

(iv) सहिबाबाद–आनन्द विहार की तीसरी और चौथी रेल लाइन

(v) शकूरबस्ती–रोहतक रेल गलियारों का विद्युतीकरण

उपर्युक्त के अलावा, रेलवे द्वारा फरीदाबाद में फ्रेट टर्मिनल की मंजूरी प्रदान की गई है।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में निर्बाध/बिना रुके यात्रा के लिए संघटक राज्यों के बीच पारस्परिक आम परिवहन करार

16.42 ठेकागत माल ढुलाई के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों के बीच पारस्परिक आम परिवहन करार पर 14. 10.2008 को हस्ताक्षर किया गया था जो ऐतिहासिक कदम था और जिससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना किसी प्रतिबंध के और किसी अतिरिक्त यात्री कर भुगतान किए बिना आटो–रिक्शा और टेक्सियों का आवागमन आसान हो जाएगा। स्टेज कैरेज के लिए पारस्परिक आम परिवहन करार को अन्तिम रूप दिया गया था और इसके लिए मसौदा अधिसूचना सार्वजनिक आपत्तियों/सुझावों के लिए सहभागी राज्यों द्वारा जारी किया गया था। यह उम्मीद की जाती है कि अंतिम करार पर शीघ्र ही हस्ताक्षर हो जाएंगे। इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बस आधारित सार्वजनिक परिवहन प्रणाली का आवागमन आसान हो जाएगा।

## एन सी आर के सहभागी राज्यों के बीच द्विपक्षीय करार

16.43 बोर्ड ने मोटर वाहन अधिनियम, 1988 के अन्तर्गत वाहनों के निर्बाध/बेरोकटोक आवगमन के लिए द्विपक्षीय करार पर हस्ताक्षर करने हेतु राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के सहभागी राज्यों से अनुरोध किया। दिल्ली–उत्तर प्रदेश, दिल्ली–हरियाणा तथा हरियाणा–उत्तर प्रदेश के बीच मसौदा द्विपक्षीय करारों पर हस्ताक्षर किए गए थे और इन्हें सार्वजानिक आपत्तियों/सुझावों के लिए अधिसूचित किया गया था।

## दिल्ली तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए काउन्टर मैग्नेट क्षेत्रों के बारे में अध्ययन

16.44 उपर्युक्त विषय पर बोर्ड द्वारा अंगीकार/अनुसरण किए गए अनुसार काउन्टर–मैग्नेट क्षेत्र विकास रणनीति (काउन्टर–मैग्नेट क्षेत्रों के चयन सहित) की समीक्षा करने के उद्देश्य से तथा क्षेत्रीय योजना 2021 के उद्देश्यों को प्राप्त करने में काउन्टर मैग्नेट क्षेत्रों को एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने में सक्षम बनाने के प्रयोजन हेतु परिवर्तनों का सुझाव देना/वैकल्पिक रणनीति विकसित करने पर एक अध्ययन पूरा कर लिया गया है और अध्ययन के प्रस्ताव संविधिक योजना समिति द्वारा बोर्ड के विचारार्थ संस्तुत किए गए हैं।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एकीकृत परिवहन योजना के बारे में अध्ययन

16.45 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एकीकृत परिवहन योजना के बारे में अध्ययन प्रगति पर है।

इस अध्ययन से विकास की प्रस्तावित नीतियों/कार्यक्रम, बदलती सामाजिक–आर्थिक और यात्रा विशिष्टताओं तथा पर्यावरणीय मुददों को ध्यान में रखते हुए दिल्ली से आने जाने तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के भीतर बड़े परिवहन मांग गलियारों (सड़क तथा रेल) के विकास/सुधार में मदद मिलेगी। इस अध्ययन का उद्देश्य यातायात तथा यात्रा विशिष्टताओं, माल ढुलाई, क्षेत्राीय भूमि उपयोग, खामियों मौजूदा परिवहन नेटवर्क के मुददों, अल्पावधि मध्यम अवधि तथा दीर्घावधि परिवहन विकास योजना आदि को ध्यान में विभिन्न मौजूदा परिवहन गलियारों संबंधी भावी परिवहन मांग पर ध्यान केन्द्रित करना तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के लिए एक एकीकृत मल्टी–मॉडल परिवहन योजना तैयार करना है जिससे उक्त परियोजना के लिए आर्थिक संभावना अध्ययन सहित अध्ययन में एक स्वीकार्य स्तर तथा परियोजना की पहचान पर बढ़े रहे परिवहन माँग का प्रबंध हो सके। इस अध्ययन के परिणाम परिवहन संबंधी कार्यात्मक योजना होंगे।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जलापूर्ति तथा इसके प्रबंधन संबंधी अध्ययन

16.46 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जलापूर्ति और इसके प्रबंधन संबंधी अध्ययन प्रगति पर है जिसमें भूतल जल स्त्रोत, भूमिगत जल एकत्रण, जल के अन्तर-बेसिन अन्तरण, मांग-आपूर्ति अन्तर, मौजूदा आपूर्ति प्रणाली में रिसाव, आदि की सभी संभाव्यताओं की पहचान करने तथा एकीकृत जल प्रबंधन सहित क्षेत्र में जलापूर्ति परिदृश्य में सुधार लाने हेतु तन्त्र विकसित करने पर ध्यान केन्द्रित किया जाएगा। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड जल संसाधनों के लिए डाटा एकत्र कर लिया गया है और मांग आपूर्ति का विश्लेषण कर लिया गया है।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के विकास के लिए संसाधन जुटाना

**16.47 — एन सी आर पी बी बजट सहायता प्राप्त करता है और अंतर्राष्ट्रीय वित्तपोषण तथा पूंजी बाजार सुलभता की योजनाएं है।**

### (क) बजटीय सहायता

16.48 वर्ष 2007-08 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय द्वारा 100 करोड़ रुपये जारी किए गए हैं और वित्त वर्ष 2008-09 के लिए बजटीय सहायता के रूप में राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड को 50 करोड़ रुपये की राशि प्रदान की गई थी।

### (ख) अतिरिक्त बजटीय संसाधन तथा बाजार उधारी

16.49 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड ने 11वीं योजना अवधि के दौरान वित्तपोषण के लिए 100% सीवरेज विकास, नए नगरों, सड़क नेटवर्क, एकीकृत जलापूर्ति, क्षेत्रीय त्वरित ट्रांजिट प्रणाली और विद्युत सृजन, संप्रेषण तथा वितरण के क्षेत्र में अवसंरचना परियोजनाओं की पहचान की है। 11वीं योजना (2007–12) के दौरान वित्त पोषित किए जाने के लिए राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा पहचान की गई परियोजनाओं पर कुल 15,000 करोड़ रुपये का परिव्यय अन्तर्ग्रस्त है। योजना लक्ष्यों को पूरा करने के उद्देश्य से, बोर्ड ने बहु-उद्देश्य एजेंसियों विश्व बैंक/ए डी बी तथा पूंजी बाजार से 9000 करोड़ रुपये जुटाने की योजना बनायी है। इस संबंध में, ए डी बी तथा विश्व बैंक प्रत्येक से 4000 करोड़ रुपये हेतु प्रस्ताव भारत सरकार के विचारार्थ प्रस्तुत किए हैं। योजना आयोग ने प्रस्ताव पर चसिद्धान्त रूप मेंछ अनुमोदन प्रदान कर दिया है। आर्थिक कार्य विभाग, वित्त मंत्रालय ने बोर्ड का प्रस्ताव ए डी बी को अग्रेषित कर दिया है और विश्व बैंक के प्रस्ताव के संबंध में कार्रवाई प्रगति पर हैं।

## राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड द्वारा वित्तपोषित परियोजना

16.50 राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना बोर्ड, सहभागी राज्यों और उनकी क्रियान्वयन एजेसियों को परियोजना की अनुमानित लागत के 75% तक ऋण के रूप में वित्तीय सहायता प्रदान करता है। वित्त वर्ष 2008-09 के दौरान अर्थात 987.36 करोड़ रुपये के अन्तर्गत परिव्ययवाली 16 नई अवसंरचना परियोजनाओं के लिए 696 करोड़ रुपये के ऋण की मंजूरी दी। बोर्ड ने चल रही और नई परियोजनाओं के लिए 723 करोड़ रुपये कुल ऋण निर्गत किया गया। 11वीं योजना के लक्ष्य को प्राप्त करने के उद्देश्य से, बोर्ड राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और काउन्टर मैग्नेट क्षेत्रों में अवसंरचना परियोजनाओं को अपनी वित्तीय सहायता बढ़ाने के लिए सभी प्रयास कर रही है।

## 3. दिल्ली नगर कला आयोग

16.51 दिल्ली नगर कला आयोग की स्थापना दिल्ली के अंदर नगर और पर्यावरणीय डिजाइन की सौंदर्यपरक कोटि के संरक्षण, विकास और रखरखाव के मामले में केन्द्र सरकार को परामर्श देने तथा किसी परियोजना के भवन परिचालन अथवा इंजीनियरिंग परिचालन अथवा संबंधित विकास प्रस्तावों, जिनके द्वारा क्षितिज अथवा

आसपास की सौंदर्यपरक कोटि अथवा उनमें उपलब्ध करायी गयी किसी सार्वजनिक सुविधा पर प्रभाव डाला जाना हो अथवा प्रभाव डालने की संभावना हो, के मामले में किसी स्थानीय निकाय को परामर्श और मार्गदर्शन देने के लिए संसद अधिनियम द्वारा की गई। यह अधिनियम 1 मई, 1974 को प्रभाव में आया।

16.52 स्थानीय निकायों द्वारा आयोग को प्रस्ताव परामर्श के लिए भेजे जाते हैं और आयोग की नियमित बैठकों, प्रत्येक माह में दो बैठकों सहित तथा इन दोनों बैठकों में 20 दिन से अधिक का अंतर न हो, में उन पर विधिवत विचार किया जाता है। लिए गए निर्णयों को आगे की आवश्यक कार्रवाई हेतु स्थानीय निकायों को बताया जाता है। 1 जून, 2008 से नवगठित आयोग ने कार्य करना शुरू कर दिया है। वर्ष 2008–09 के दौरान, 4 जून, 2009 के बीच 30 बैठकें आयोजित की गई थीं। इस वर्ष के दौरान आयोग ने कुल 295 प्रस्ताव प्राप्त किए जिनमें से 275 प्रस्तावों पर आयोग द्वारा विचार किया गया। विचारित प्रस्तावों में से, 200 प्रस्ताव अनुमोदित किए गए, 51 प्रस्तावों पर टिप्पणियां लिखी गईं, 7 प्रस्तावों को विभिन्न कारणों से आस्थगित किया और 17 प्रस्तावों को वापिस/अस्वीकृत किया गया। 20 प्रस्ताव, पूरे दस्तावेजों इत्यादि के प्राप्त न होने के कारण लंबित हैं। डीयूएसी अधिनियम, 1973 में निर्धारित इसके अधिदेश के आलोक में समय–समय पर प्राप्त प्रस्तावों पर आयोग ने उम्दा सलाह दी।

16.53 बड़े प्रस्तावों पर विचार करते समय, आयोग, शहर पर इन प्रस्तावों के लंबी अवधी के संचयी प्रभावों को ध्यान में रखता है। आयोग ने विकास की साईट पर वनारोपण और वर्तमान हरे भरे और कीमती वृक्षों की अधिकतम संख्या को बचाने के मुद्दों पर बल दिया।

16.54 एमपीडी–2021 में, 167 एफएआर के 200 एफएआर तक बढ़ने के कारण, ग्रुप हाऊसिंग सोसाइटी अब मौजूदा संरचना में अतिरिक्त निर्माण का प्रस्ताव कर रही है। इस तरह के प्रस्तावों को स्थानीय निकायों द्वारा डीयूएसी को अनुमोदन हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। ऐसे प्रस्तावों की जांच करते समय डीयूएसी ने, नवीन/अतिरिक्त संरचनाओं की संरचनात्मक सुदृढ़ता की समस्या, खुली जगह पर अतिक्रमण, निवासियों के जीवन को नुकसान, प्रदूषण की समस्या इत्यादि पर ध्यान दिया है। इन समस्याओं को निपटाने के लिए आयोग ने दिनांक 7.3.2009 को एक कार्यशाला आयोजित की जिसमें संबंधित अधिकारियों के अलावा, संरचना अभियंता, इत्यादि ने भी भाग लिया।

16.55 आयोग ने सार्वजनिक लाभ तथा सूचना का अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के प्रावधानों के आलोक में अपनी वेबसाईट पर इसके संचालन और क्रियाकलापों पर अतिरिक्त सूचना डालने हेतु पहल प्रयास किए। एक बार आयोग की बैठक के कार्यवृत्त निश्चित होने पर, पारदर्शिता सुनिश्चित करने हेतु प्रस्तुत किए गए प्रस्तावों पर आयोग द्वारा लिए गए निर्णयों को तुरंत वेबसाईट पर डाला जा रहा है। एक वेब आधारित ट्रेकिंग व्यवस्था का प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसके द्वारा एक स्टेकहोल्डर अपने प्रस्ताव को प्रस्तुत करने की तिथि से इसके अंतिम निपटान तक आयोग को संदर्भित इस प्रस्ताव की प्रगति का आंकलन कर सकता है।

16.56 आयोग का पूर्ण व्यय गैर–योजना प्रकृति का है जिसे केन्द्रीय सरकार द्वारा अनुदान सहायता के माध्यम से मुहैया करवाया जाता है। वर्ष 2008–09 का बजट अनुमान (बीई) 132.00 लाख रु॰ और वर्ष 2008–09 का संशोधित अनुमान 154.00 लाख रु॰ है।

## 4. राष्ट्रीय नगर कार्य संस्थान (रा॰न॰का॰सं॰)

16.57 रा॰न॰का॰सं॰ भारत में शहरी अनुसंधान का एक उत्कृष्ट संस्थान है जो कि भारत सरकार के शहरी विकास मंत्रालय द्वारा समर्थित है। यह संस्थान 1860 के सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम XXI के तहत 1976 को तत्कालीन निर्माण और आवास मंत्रालय के अंतर्गत स्थापित किया गया था। संस्थान की शासी परिषद् में 19 सदस्य शामिल होते हैं। जिनमें शहरी विकास मंत्रालय, योजना आयोग, राज्य सरकारों, वित्तीय संस्थानों के प्रतिनिधि तथा शहरी विशेषज्ञ शामिल हैं।

## रा॰न॰का॰सं॰ की गतिविधियाँ

16.58 रा॰न॰का॰सं॰ की महत्वपूर्ण गतिविधियाँ निम्नलिखित हैं:—

- **जवाहरलाल नेहरू शहरी नवीनीकरण अभियान (जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰) को समर्थन**

वर्ष 2008–09 के दौरान रा॰न॰का॰सं॰ ने 3 शहरी विकास योजनाओं का मूल्यांकन किया था। रा॰न॰का॰सं॰ के द्वारा 10 वैकल्पिक सुधारों की प्रवेशिकाएँ तैयार की गई थी। रा॰न॰का॰सं॰ पीयर एक्सपीरियन्स एण्ड रिफ्लेक्टिव लर्निंग प्रोग्राम (पर्ल) का राष्ट्रीय समन्वयक है। रा॰न॰का॰सं॰ 21 शहरों में हुए सुधारों तथा उनका 11 राज्यों में फैलाव की जाँच कर रहा है तथा तकनीकी सलाहकारी समूह (टी॰ए॰जी॰) को सचिवीय सहयोग उपलब्ध करा रहा है।

- **उच्चधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति को सहयोग**

भारत सरकार ने शहरी बुनियादी–ढांचे की सेवाओं हेतु आवश्यक निवेश का अनुमान लगाने के लिए एक उच्चधिकार प्राप्त विशेषज्ञ समिति (एच॰पी॰ईसी॰) का गठन किया है। रा॰न॰का॰सं॰ इस समिति के लिए सचिवालय के रूप में है तथा तकनीकी व अनुसंधान सहयोग उपलब्ध कराता है।

- **राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में शहरी सामूहिक विकास**

शहरी सामूहिक विकास (सी॰सी॰डी॰) का उद्देश्य बेहतर बुनियादी ढांचे, नवीन वित्त पोषण तथा सु–शासन के माध्यम से उनके विकास क्षेत्र को संबद्ध करके शहरों के विकास की संभावना को बढ़ाना है। ए॰ डी॰ बी॰ दिल्ली के एन॰सीआर में सी॰सी॰डी॰ अध्ययन को सहयोग कर रहा है। एन॰सी॰आर॰ में सी॰सी॰डी॰ का लक्ष्य भौगोलिक व आर्थिक विशेषताओं व ढांचे का मूल्यांकन करना तथा समझना, श्रेष्ठ कार्यों व नवीन कार्यों की खोज करना, समाधान करना तथा ज्ञान का प्रचार–प्रसार करना है।

- **भारत में संपत्ति कर सुधारों पर अध्ययन**

इस अध्ययन का मुख्य उद्देश्य 10 चयनित जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ शहरों में संपत्ति कर सुधारों की स्थिति को प्रलेखन करना (डाक्यूमेंट) तथा अन्य शहरों में सफल सुधारों की पुनरावृति के लिए मार्ग निर्देश तैयार करना है।

- **भारत में सतत शहरी प्रारूप (सस्टेनेबल सिटी फॉर्म) पर अध्ययन**

इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय शहरों में सतत शहरी प्रारूप से संबंधित नीति और व्यवहार में अंतराल को पहचानना, इस बात का निरीक्षण करना कि स्थानीय स्तर पर नीति किस प्रकार से व्याख्या तथा कार्यान्वित होती है तथा इस बात की जाँच पड़ताल करना कि सततता के रूप में शहरी प्रारूप किस प्रकार कार्य करता है।

- **दिल्ली में सरकारी भवनों के लिए भवन अनुमोदन प्रक्रिया का सरलीकरण**

यह अध्ययन सरकारी भवनों के विद्यमान कानून तथा नीतियों की समीक्षा करेगा: भवन अनुमोदनों पर लिए जाने वाले निर्णयों में लगने वाली समय सीमा: अपील का प्रावधान, सरकारी भवनों के लिए अनुमोदन देने के लिए सरकार में कार्यरत वरिष्ठ वास्तुकार को अधिकार देने की संभावनाओं का पता लगाना।

- **विकेन्द्रीकृत शहरी शासन के लिए क्षमता–निर्माण**

इस परियोजना के अंतर्गत संस्थान ''डिवोल्यूशन इण्डेक्स का निर्माण'' नामक एक अध्ययन का समन्वय कर रहा है।

- **शहरी परिवहन प्रयासों का प्रलेखन (डाक्यूमेंटेशन)**

यह भारत के लगभग 10 शहरों में हुए शहरी परिवहन प्रयासों (रेल आधारित तथा बस आधारित परियोजनाओं) का प्रलेखन करेगा तथा सरकारी निजी भागीदारी (पी॰पी॰पी॰) में श्रेष्ठ कार्यों की सफलताओं का प्रलेखन करेगा। यह अपनी सफलताओं के कारणों तथा कार्यान्वयन स्तर तथा प्रचालन स्तर के दौरान आने वाली बाधाओं/समस्याओं को पहचानेगा।

- **चयनित राज्यों में राज्य वित्त अयोग (एस॰एफ॰सी॰) तथा केन्द्रीय वित्त आयोग (सी॰एफ॰सी॰) अनुदानों की ट्रैंकिंग**

इस अध्ययन का प्रमुख केन्द्र होगा: अनुदानों की प्रकृति, हस्तांतरण पैकेज में परिवर्तन, अनुदानों को जारी करने की प्रक्रिया तथा इन अनुदानों का यू॰एल॰बी॰ के राजकोष पर प्रभाव।

16.59 इसके अतिरिक्त, रा॰न॰का॰सं॰ ने शहरी विकास मंत्रालय तथा आवास और शहरी गरीबी उपशमन मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत अनेक संदर्भों व मामलों पर सहयोग व तकनीकी सलाह उपलब्ध करवाई। इसमें जुलाई 2008 को तैयार ''आपदा प्रबंधन की राष्ट्रीय नीति'' का प्रारूप, सितम्बर 2008 को असंगठित क्षेत्र के उद्योगों के लिए राष्ट्रीय आयोग द्वारा तैयार ''दक्षता-निर्माण तथा सुनिश्चित रोजगार'' पर तैयार रिपोर्ट, सितम्बर 2008 को तैयार ''स्थायी आवास हेतु राष्ट्रीय अभियान'' पर प्रारूप पेपर, 1 अक्टूबर 2008 को तैयार ''असम में जन-प्रकटन नियम तथा चण्डीगढ़ में स्टॉम्प शुल्क में कमी'' पर नोट, 26 नवम्बर 2008 को तैयार भारत में शहरी बुनियादी ढांचे के लिए वित्त पोषण पर टिप्पणी, जनवरी 2009 को तैयार दिल्ली संपत्ति-प्रबंधन प्रस्ताव पर समीक्षा आदि शामिल है।

## संपूर्ण अध्ययन/परियोजनाएँ

16.60 इसके साथ-साथ रा॰न॰का॰सं॰ शहरी गरीबों से संबंधित मुद्दों को बढ़ावा देने के लिए एन॰सी॰आर॰ में गैर-सरकारी संगठनों (एन॰जी॰ओ॰) को सहयोग दिया। रा॰न॰का॰सं॰ ने निम्नलिखित सहयोग उपलब्ध करवाया:—

- 11 शहरों के लिए शहरी गरीबी उपशमन कार्यनीति (यू॰पी॰आर॰एस॰)।
- मॉडल राष्ट्रीय म्युनिसिपल लेखाकरण प्रशिक्षण निर्देशिका का विकास।
- मॉडल राष्ट्रीय म्युनिसिपल परिसंपत्ति मूल्यांकन कार्यप्रणाली का विकास।
- भारत में व्यापार करना।
- सूरत नगर निगम के लिए प्रशिक्षण की आवश्यकता को पहचानने के लिए आवश्यक शहरी प्रशिक्षण मूल्यांकन योजना का निर्माण।

## कार्यशालाएँ/सम्मेलन/गतिविधियाँ

16.61 इसके साथ-साथ, रा॰न॰का॰सं॰ ने निम्नलिखित कार्यशालाएँ और गतिविधियों का आयोजन किया:—

- फायर परियोजना के साथ ''गरीबी के लिए शहरी सेवाएँ'' पर 11 अप्रैल 2008 को कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- रा॰न॰का॰सं॰ में फायर परियोजना के साथ 6 जून 2008 को ''भुवनेश्वर शहरी स्लम उन्नयन कार्यनीति'' पर कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- टी॰ए॰जी॰/जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ के सहयोग से ''क्षेत्रीय योजना'' पर 9 मई 2008 को कार्यशाला आयोजित की गई थी।

- शहरी प्रबंधन प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पर : 22 मई 2008 को इग्नू–रा॰न॰का॰सं॰ की प्रथम विशेषज्ञ समूह की बैठक का आयोजन किया गया था।
- औद्योगिक नीति विकास विभाग तथा रा॰न॰का॰सं॰ द्वारा 19 अगस्त 2008 को 'म्युनिसिपल लाइसेंसों व संपत्ति पंजीकरण' पर कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- रा॰न॰का॰सं॰ में 29 जुलाई 2008 को ''भारत में म्युनिसिपल बॉण्ड बाजार में विकास : बाधाओं को दूर करना'' पर कार्यात्मक सत्र का आयोजन किया गया था।
- ''जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ के अंतर्गत आवश्यक सुधारों'' पर 25 अगस्त 2008 को गोलमेज का आयोजन किया गया था।
- ऑक्सफोर्ड बूक्स विश्वविद्यालय के सहयोग से ''सतत शहरी प्रारूप'' पर 21 अगस्त 2008 को सम्मेलन का आयोजन किया गया था।
- ''यू॰एल॰बी॰ की परिसंपत्तियों का स्पष्ट मूल्यांकन'' पर 3 जुलाई 2008 को विशेषज्ञ समूह की बैठक आयोजित की गई थी।
- पर्ल/जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰ पर 4 दिसम्बर 2008 को गोलमेज का आयोजन किया गया था।
- सी॰आई॰आई॰ द्वारा ''शहरी क्षेत्र के लिए विधि संरचना'' पर रा॰न॰का॰सं॰ में 10 जनवरी 2009 को बैठक का आयोजन किया गया था।
- वैकल्पिक सुधारों पर 21 जनवरी 2009 को बैठक का आयोजन किया गया था।
- जनवरी 2009 को पर्ल वेबसाइट ''इण्डिया अर्बन पोटर्ल'' (www.Indiaurbanportal.in) का आरंभ हो गया था।
- ''अनलॉकिंग वेल्यू ऑफ अर्बन लैण्ड'' पर विश्व बैंक की श्रीमती पैटरीशिया एनेज द्वारा 28 जनवरी 2009 को प्रस्तुतीकरण दिया गया था।
- पर्ल के अंतर्गत संस्कृति, हैरीटेज व धार्मिक शहरों पर 2 फरवरी 2009 को मदुरै में राष्ट्रीय कार्यशाला का आयोजन किया गया था।
- 9 फरवरी 2009 का रा॰न॰का॰सं॰ व सी॰आई॰एस॰सी॰ओ॰ ने ''स्टेटमेंट ऑफ वर्क'' पर हस्ताक्षर किए थे।
- ''शहरी बुनियादी ढांचा व शासन में चीनी अनुभव : भारत के लिए सबक'' पर 16 फरवरी 2009 को एच॰पी॰ई॰सी॰–रा॰न॰का॰सं॰ के सहयोग से श्री केशव वर्मा, निदेशक ई॰ए॰पी॰ शहरी विकास, विश्व बैंक द्वारा एक जन–व्याख्यान दिया गया था।
- एन॰सी॰आर॰ में शहरी सामूहिक विकास पर 3 मार्च 2009 को तीसरे गोलमेज का आयोजन किया गया था।
- ''विश्व विकास रिपोर्ट 2009 : आर्थिक भूगोल की पुर्नरचना'' पर 12 मार्च 2009 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी।
- ''शहरी विकास के लिए वित्त पोषण के वैकल्पिक स्रोत'' पर 26 मार्च 2009 को कार्यशाला आयोजित की गई थी।

## वर्ष 2008-2009 के दौरान सूचना का प्रचार-प्रसार

16.62 रा॰न॰का॰सं॰ ने वर्ष 2008-2009 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रस्तुत किए:

- ''अर्बन इण्डिया'' के दो अंक।
- अर्बन फाइनांस न्यूजलैटर : तिमाही पत्रिका के 4 अंक प्रकाशित एव प्रसारित हुए।
- ''पर्ल अपडेट' पत्रिका का आरंभिक अंक प्रकाशित किया गया था। इसका उद्देश्य सुधार-प्रक्रिया को प्रस्तुत करना है।
- ''हैण्डबुक ऑफ अर्बन स्टेटिस्टिक 2008'' प्रकाशित किए गए।
- ''शहरी समाचारो'' के 12 मामले
- ''जे॰एन॰एन॰यू॰आर॰एम॰'' पर समाचार पत्रों की कतरनों का संग्रह प्रकाशित किया गया।
- वेबसाइट-http://www.niua.org के माध्यम से प्रचार-प्रसार किया गया।

## 5. राजघाट समाधि समिति

16.63 राजघाट समाधि समिति संसद के एक अधिनियम, जिसके राजघाट समाधि अधिनियम, 1951 और राजघाट समाधि (संशोधन) अधिनियम, 1958 कहा जाता है, द्वारा सृजित एक स्वायत निकाय है, जिसे निम्नलिखित उत्तरदायित्व सौंपे हुए हैं:—

- समाधि के कार्यों को नियंत्रित करना और समाधि को उचित प्रकार से रखना तथा उसे अच्छी मरम्मत की स्थिति में रखना।
- समाधि पर समय-समय पर समारोहों को आयोजित और संचालित करना।
- कुछ अन्य कार्य करना, जो समाधि के कार्यों के कुशल प्रशासन से संबंधित हो अथवा जुड़े हों।

## समिति का गठन

16.64 वर्ष 2008-09 के दौरान समिति के प्रमुख श्री एस॰ जयपाल रेड्डी, शहरी विकास मंत्री, भारत सरकार जो इस समिति के माननीय अध्यक्ष थे तथा निम्नलिखित व्यक्ति इस समिति के माननीय सदस्य थे:—

श्री अजय माकन, शहरी विकास राज्य मंत्री, भारत सरकार, डा॰ श्रीमती कपिला वात्स्यायन (राज्य सभा), श्री हरि लाल माधव भाई पटेल, संसद सदस्य, (लोक सभा), श्री राज मोहन गांधी, श्री दीपक नैय्यर, भूतपूर्व उप कुलपति, महापौर, दिल्ली, श्री बी॰जी॰ वर्गीज, वरिष्ठ पत्रकार, भारत सरकार के अपर सचिव, शहरी विकास मंत्रालय, मुख्य सचिव, रा॰रा॰क्षे॰ दिल्ली सरकार एवं भारत सरकार के संयुक्त सचिव, संस्कृति मंत्रालय पदेन सदस्य थे।

## मरम्मत एवं रखरखाव

16.65 उद्यान एवं पार्कों, इलैक्ट्रिक इंस्टॉलेशन एवं पंप और अन्य संरचनाओं की मरम्मत एवं रखरखाव का कार्य केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग की उद्यान, विद्युत और सिविल इंजीनियरिंग डिवीजनों को सौंपा हुआ है।

## समारोह

16.66 पिछले वर्षों की तरह विशेष समारोहों का आयोजन 2 अक्टूबर और 30 जनवरी को महात्मा गांधी का जन्म दिवस और उनकी पुण्य तिथि मनाने के लिए किया गया। इन दोनों अवसरों पर सर्व धर्म प्रार्थना सभाएं, फोटो प्रदर्शनी गांधी साहित्य की बिक्री और बड़े स्तर पर चरखा कातने के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

16.67 15 अगस्त के दिन प्रधान मंत्री समाधि पर आए और उन्होंने स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर राष्ट्रपिता महात्मा  गांधी को पुष्प अर्पित करके श्रद्धांजलि दी।

16.68 इन वार्षिक समारोहों के अतिरिक्त पूरे वर्ष प्रत्येक शुक्रवार को शाम के समय नियमित रूप से सर्वधर्म प्रार्थना सभाएं और चरखा कातने के कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं।

## आगन्तुक

16.69 गांधी समाधि पर प्रतिदिन बड़ी संख्या में पर्यटक और अन्य लोक आते हैं। बहुत बड़ी संख्या में स्कूलों के बच्चे भी अपने बाहरी कार्यकलापों और यात्रा के रूप में गांधी समाधि को देखने आते हैं।

16.70 रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान काफी बड़ी संख्या में प्रतिष्ठित व्यक्ति गांधी समाधि पर आए और उन्होंने गांधी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसमें महामहिम योवेरि कगूटा मुसेवेनी, युगांडा गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री बशर अल-असाद, सीरियन अरब गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री लिंकेन जिग्मी वाई, थिंले, भूटान के प्रधान मंत्री; महामहिम श्री हामिद करजई, अफगारिस्तान इस्लामिक गणराज्य के राष्ट्रपति, महामहिम श्री चौमेली सेसून, लाओ पीडीआर के राष्ट्रपति; महामहिम श्री पुष्प कमल दहल ''प्रचण्ड'', नेपाल के प्रधानमंत्री, महामहिम श्री महमूद अब्बास, फिलिस्तीन के राष्ट्रपति, महामहिम श्री बान की मून, राष्ट्र संघ के महासचिव; महामहिम श्री अल्बर्ट-II, बेल्जियम के राजा; महामहिम मोहम्मद होस्नी मुबारक, मिश्र अरब गणराज्य के राष्ट्रपति; महामहिम श्री रेसेप तेईप इरडोगन, तुर्की गणराज्य के प्रधान मंत्री; महामहिम श्री दमित्री ए॰ मेदेवदेव, रूस संघ के राष्ट्रपति; महामहिम श्री मोहम्मद नाशीद, मालदीव गणराज्य के राष्ट्रपति; महामहिम सुश्री मारिया टेरेसा फर्नांडिज डी ला वेगा, स्पेन की उप प्रधानमंत्री; श्री मोर्टिन लूथर किंग-III; महामहिम डा॰ बोनी याई, बेनिन के राष्ट्रपति; महामहिम डा॰ मिशेल बैशलेट, चिली गणराज्य के राष्ट्रपति शामिल थे।

16.71 गणमान्य अतिथियों ने महात्मा गांधी को पुष्पांजलि दी और आगन्तुक पुस्तिका पर हस्ताक्षर किए। उनके समाधि पर आने के समय उन्हें गांधी जी की पुस्तकों का एक सैंट, बापू की आवक्ष मूर्ति और एक नामावली, इसमें ''सात सामाजिक पाप'' शामिल हैं, प्रस्तुत की गई।

## सहायता के रूप में अनुदान

16.72 वर्ष 2008-09 के दौरान शहरी विकास मंत्रालय (भारत सरकार) द्वारा स्वीकृत सहायता के रूप में अनुदान की राशि केवल 2,84,27000 (दो करोड़ चौरासी लाख सत्ताइस हजार रु॰) थी।

## लेखा एवं लेखा परीक्षा

16.73 रखरखाव एवं अनुरक्षण, संस्थापना, समारोहों का आयोजन आदि और कुछ कार्य परियोजनाओं पर हुए सभी व्यय मंत्रालय से प्राप्त सहायता के रूप में अनुदान में से खर्च किए गए। प्राप्त अनुदान और किए गए व्यय के खातों का रखरखाव राजघाट समाधि समिति कार्यालय द्वारा किया जाता है और उनकी वार्षिक लेखा परीक्षा प्रधान निदेशक, लेखा परीक्षा आर्थिक एवं सेवा मंत्रालय, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय, नई दिल्ली द्वारा की जाती है।

# परिशिष्ट

Blank

# Chart